

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] No. 31] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2015/पौष 12, 1936

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2015/PAUSHA 12, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी,2015

का.आ. 34(अ).-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिसूचना के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

"20

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [िकमी 212.000 से किमी 387.100 (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर तक) और किमी 407.100 से किमी 491.330 तक (जालंधर-अमृतसर-वाघा सीमा) को छोड़कर और रारा सं.10, 15 [िकमी 6.082 से किमी 108.502 (पठानकोट-अमृतसर) खंड को छोड़कर] रारा सं.20, 21 [िकमी 0.000 से किमी 1.680 और किमी 6.800 से किमी 73.200 (चंडीगढ़/पंजाब सीमा-कुराली-कीरतपुर को छोड़कर)] रारा सं.22 [िकमी 10.890 से किमी 39.860 और किमी 39.860 से किमी 41.945 (जीरकपुर-पंजाब/हरियाणा सीमा को छोड़कर)] रारा सं.64, सं.70, 71, 95 (िकमी 92.000 से किमी 170.000 (लुधियाना-तलवंडी को छोड़कर)], नई रारा सं.3, नई रारा सं.154ए, नई रारा सं.344 ए, नई रारा सं.503 विस्तार, नई रारा सं.703, नई रारा सं.703ए और नई रारा सं.754 के उतने भाग जो पंजाब राज्य में अवस्थित हैं।

पंजाब राज्य सरकार

[फा.सं. एनएच-14013/18/2014-पीएंडएम (पार्ट)]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडएम)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ.-2596 (अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

61 GI/2015 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2015

S.O. 34(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 20 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"20	So much of National Highways No.1 [excluding from Km. 212.000 to Km. 387.100	State
	(Haryana/Punjab Border to Jalandhar) and from Km. 407.100 to Km. 491.330 (Jalandhar –	Government of
	Amritsar - Wagah Border)], No.10, No.15 [excluding from km. 6.082 to km. 108.502	Punjab
	(Pathankot – Amritsar section)], No.20, No.21 [excluding from Km. 0.000 to Km. 1.680 and	
	from Km. 6.800 to Km. 73.200 (Chandigarh/Punjab border-Kurali-Kiratpur)], No.22	
	[excluding from Km.10.890 to Km. 39.960 and from Km. 39.860 to Km. 41.945(Zirakpur-	
	Punjab/Haryana Border)], No.64, No.70, No.71, No.95 [excluding from km. 92.000 to km.	
	170.000 (Ludhiana-Talwandi)], new NH No. 3, new NH No. 154A, new NH No. 344A, new	
	NH No. 503 Extn, new NH No. 703, new NH No. 703A and new NH No. 754 as are	
	situated within the State of Punjab.	

[F. No. NH-14013/18/2014-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note:-The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2596 (E), dated the 8th October, 2014.